बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना
नियोजन भवन, छठा तल्ला, सी ब्लॉक, पटना।

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना में अधिनियमों, नियमावलियों एवं अन्य अधिसूचनाओं को संग्रहित करते हुए बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास से संबंधित पुस्तक के प्रकाशन के लिए अल्प अवधि कोटेशन हेतु सूचना।

पत्रांक बा०श्र०आ०– पटना दिनांक–

बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना में अधिनियमों, नियमावलियों एवं अन्य अधिसूचनाओं को संग्रहित करते हुए बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास से संबंधित पुस्तक का मुद्रण कराया जाना है।

बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास से संबंधित पुस्तक 1000 प्रतियों में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। संबंधित पुस्तक में 75 (पचहत्तर) पृष्ठ होने की संभावना है, जिसके मुद्रण करने, उसका बंधन एवं ग्लू बाईडिंग कर कार्य स्थल पर पहुचाने का कार्य संपादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित / रजिस्टर्ड / डाक एवं हाथों–हाथ बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना के कार्यालय में पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर तक उपलब्ध कराया जा सकता है।

बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास का स्वरूप निम्नवत् होगा :–

क्र० सं०	पुस्तक का विवरण	पृष्ठो की सं० (लगभग) / पुस्तको की सं०	कागज की गुणवत्ता
1	बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन एवं पूनर्वास	पुस्तक में 75 (पचहत्तर) पृष्ठ / 1000 प्रतियों में पुस्तक के रूप में मुद्रण।	250 जी०एस०एम०+लेमिनेशन कौभर पेज मल्टीकलर। 130 जी०एस०एम० आर्ट पेज मल्टीकलर प्रिंट बाईडिंग के साथ। साईज– ए 4· , 8.5 X 11"

नोट :–

1) पेज की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है।
2) आपूर्ति की जाने वाली अन्य विशेष जानकारियों के लिये आयोग कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
3) कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
   क) विगत एक वर्ष का आयकर रिर्टन संबंधी अभिलेख।
   ख) जी०एस०टी० पंजीकरण से संबंधित अभिलेख।
   ग) कलर शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, कम्प्यूटर सेट एवं बाईंडिंग यूनिट प्रेस परिसर में होने का प्रमाण।
4) कार्यादेश निर्गत होने के तीन दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तक प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अन्दर मुद्रण की कार्रवाई सम्पन्न करते हुए बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास से संबंधित पुस्तिका कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह० / –
श्रम अधीक्षक(बाल श्रम)
बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना।

पत्रांक– 45

दिनांक– 03-03-25

प्रतिलिपि – आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

3/3/25

श्रम अधीक्षक(बाल श्रम)
बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना।